संख्याः 640 /XXX-01 (02)/2011

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
3. **समस्त प्रभारी सचिव/अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),**
   उत्तराखण्ड शासन।
4. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।
5. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

विषयः **राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों, निगमों, संगठनों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि में निर्माण अथवा सामग्री आपूर्ति आदि के अनुबन्धों के अन्तर्गत कार्य में 'सत्यनिष्ठा अनुबन्ध' द्वारा पारदर्शी, निष्पक्ष एवं साम्यतापूर्ण व्यवस्था स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में सुराज की स्थापना हेतु निरन्तर ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे राज्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, सुशासन स्थापित हो तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2011 से विभिन्न निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं तथा सामग्री अधिप्राप्ति के ठेकों/कार्य आबंटन में ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता/अनुबन्धकर्ता के साथ एक 'सत्यनिष्ठा अनुबन्ध' (Integrity Pact) निष्पादित किए जाने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। 'सत्यनिष्ठा अनुबन्ध' की व्यवस्था लागू होने पर भ्रष्टाचार के आरोप/शिकायतों के कारण अनुबन्ध एवं अधिप्राप्तियों में जो विलम्ब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसका निराकरण हो जायेगा तथा विलम्ब की स्थिति का निराकरण हो जाने से परियोजनाओं की लागत में जो वृद्धि होती है, उसकी संभावना भी कम रहेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के कार्य–कलापों में स्वच्छता एवं दक्षता की वृद्धि होगी, कार्यालयों में कार्य करने व निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा स्वच्छता न रहने की स्थिति में समय–समय पर उत्पन्न होने वाली अवांछित असंतोष उत्पन्न होने की स्थितियां नहीं बनेंगी तथा फलतः राज्य के नागरिकों में राज्य सरकार के प्रति विश्वास की बढ़ोत्तरी होगी।

2. राज्य सरकार के निर्णय अनुसार लागू की जाने वाली 'सत्यनिष्ठा अनुबन्ध' की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम चरण में 5 करोड़ रूपये से अधिक लागत की परियोजना/आपूर्ति के प्रकरणों में निम्न कार्यवाही/व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी :–

(1) सत्यनिष्ठा अनुबन्ध सरकार/सरकारी विभागों/समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी, अनुदानित संस्थानों तथा अनुबन्धकर्ताओं/ठेकेदारों/व्यवसायियों/आपूर्तिकर्ताओं के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

(2) सत्यनिष्ठा अनुबन्ध में यह अनुबन्ध किया जायेगा कि किसी भी पक्ष द्वारा न तो रिश्वत की मॉग की जायेगी और न ही किसी भी रूप में रिश्वत दी जायेगी। अनुबन्ध के माध्यम से सरकार एवं उसके विभाग इस बात के लिये सहमति व्यक्त करेंगे कि यदि उनके किसी सरकारी सेवक या प्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार से रिश्वत की मॉग की है तो उसके खिलाफ अनुशासनिक अथवा दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

(3) अनुबन्ध में इस बात का भी उल्लेख होगा कि किसी व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार के रिश्वत की पेशकश न करने अथवा प्रलोभन न देने की

प्रतिज्ञा की जायेगी। यदि इसके प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उस व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) सम्बन्धित अधिप्राप्ति के लिए व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता से अधिप्राप्ति की लागत, विशिष्टियों अथवा प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में कोई गुप्त अनुबन्ध अथवा समझौता नहीं किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता से किसी भी सूचना को आदान–प्रदान नहीं किया जायेगा।

(6) विदेशी व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को भारत में अपने प्रतिनिधियों के नाम एवं पते का विवरण उद्घाटित करना होगा। इसी प्रकार, भारतीय व्यवसायी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को विदेश में अपने कारोबारी प्रतिनिधियों के नाम एवं पते उद्घाटित करने होंगे।

(7) सत्यनिष्ठा अनुबन्ध में सम्पूर्ण अधिप्राप्ति की प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक अनुबन्ध हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निरीक्षक (Independent External Monitor- IEM) की व्यवस्था की जायेगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निरीक्षक की व्यवस्था उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

3. उक्त सत्यनिष्ठा अनुबन्ध को लागू करने के निमित्त कार्य आबंटन करने वाली संस्था/विभाग तथा कार्यदायी संस्था/आपूर्तिकर्ता संस्था के मध्य निष्पादित किए जाने वाले 'सत्यनिष्ठा अनुबन्ध' का नमूना प्रारूप (Model Draft) संलग्न है जिसे सम्बन्धित प्राधिकारी आवश्यक संगत/अपरिहार्य संशोधनों के साथ अंगीकृत कर उसका निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे और उसे कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र/अनुबन्ध का भाग बनाया जायेगा।

4. अनुरोध है कि शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अपने नियंत्रणाधीन विभाग/विभागों में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करायें और सर्वसम्बन्धितों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश दे दें कि इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरते जाने की सूचना प्राप्त/पुष्टि होने की दशा में शिथिलता हेतु उत्तरदायी अधिकारी/अधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त.

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्याः 640 /XXX-01 (02)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
प्रभारी सचिव।